लम्बित राजस्व प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण हो-वी. श्रीनिवास

राजस्व बोर्ड अध्यक्ष ने ली राजस्व अधिकारियों की बैठक

उदयपुर, 27 अक्टूबर/राजस्व बोर्ड अजमेर के अध्यक्ष वी.श्रीनिवास ने शुक्रवार को जिले के राजस्व अधिकारियों की बैठक में निर्देश दिए कि वे लम्बित राजस्व प्रकरणों का त्वरित गति से निस्तारण करें। इसके लिए वे सप्ताह में 3 दिन कोर्ट लगाएं एवं प्रकरणों पर शीघ्र निर्णय करें। उन्होंने श्रेणी के अनुसार निर्णयों का रिकॉर्ड संधारण करने के भी निर्देश दिए।

जिला कलक्टर सभागार में जिले भर के राजस्व अधिकारियों की बैठक लेते हुए बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि राजस्व लोक अदालत अभियान के दौरान काफी प्रकरणों का निस्तारण किया गया है जिससे आमजन को राहत मिली है। बकाया लम्बित प्रकरणों के निस्तारण हेतु राजस्व अधिकारियों को चाहिए कि वे अपनी अदालत में नियमित सुनवाई कर त्वरित निर्णय करे।

बैठक के दौरान जिले के राजस्व संबंधी प्रकरणों से संबंधित प्रस्तुतिकरण दिया गया जिस पर चर्चा करते हुए उन्होंने आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्राप्त व्यक्तियों को जमीन पर खेती करने को प्रेरित करने, अतिक्रमण के मामलों की संख्या में कमी लाने, एसटी-एससी की जमीनों के अवैध हस्तांतरण सहित कई अन्य बिन्दुओं पर भी विस्तार से चर्चा की।

बैठक में संभागीय आयुक्त भवानी सिंह देथा,अतिरिक्त जिला कलक्टर सी.आर.देवासी व सुभाष चन्द्र शर्मा, जिले के सभी राजस्व अधिकारी एवं अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

पारदर्शिता पर दिया जोर

राजस्व प्रकरणों की सुनवाई की स्थिति के बारे में पारदर्शिता पर जोर देते हुए राजस्व बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि विभिन्न स्तर के लगभग 5 हजार कोर्ट के प्रकरण ऑनलाइन कर दिए गए हैं जिससे आमजन को उसके प्रकरण की स्थिति एवं उससे संबंधित निर्णय के बारे में आसानी से जानकारी प्राप्त हो सके। उन्होंने जिला स्तर पर न्याय केन्द्र की स्थापना की योजना के बारे में भी जानकारी दी। म्यूटेशन (नामांतरण) पर लिए गए निर्णय को विस्तृत रूप से दर्ज करने की जरूरत पर जोर दिया।

श्री श्रीनिवास ने लड़कियों के अधिकारों के संबंध में सजग रहते हुए फैसले करने को कहा। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि नवीनतम पत्रावलियों को देखकर ही सेल डीड के प्रकरणों में कार्यवाही करे। उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि मंदिरों की जमीनों पर खातेदारी अधिकार किसी भी सूरत में नहीं दिए जाए।

लेण्ड रिकॉर्ड दुरूस्त करें

बोर्ड अध्यक्ष ने तहसीलदार कोर्टों में लेण्ड रिकॉर्ड को दुरुस्त करने एवं उसके डिजिटाइजेशन करने के निर्देश दिए। इससे लम्बित प्रकरणों की संख्या में कमी लाई जा सकेगी एवं नये विवादों में कमी आएगी। जमाबंदी का विवरण समय पर दर्ज करने के निर्देश भी उन्होंने दिए।

रिकॉर्ड के संरक्षण हेतु 25 वर्ष से पुराने रिकॉर्ड को राज्य अभिलेखागार को भिजवाने की बात भी उन्होंने कही। जिले की तहसीलों में मॉडर्न रिकॉर्ड रूम तैयार करने के शेष कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए।

मॉनिटरिंग पर रहे जोर

श्री श्रीनिवास ने कहा कि राजस्व अधिकारी नियमित निरीक्षण करें एवं नियमानुसार रात्रि विश्राम कार्यक्रमों के माध्यम से आमजन को राहत दिलाएं। उन्होंने कहा कि पटवार हलकों का निरीक्षण कर प्रभावी मॉनिटरिंग करें।

बार प्रतिनिधियों से भी मिले

श्री श्रीनिवास कोर्ट परिसर में बार एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से भी मिले। उन्होंने वकीलों से आव्हान किया कि रेवेन्यू के बढ़ते लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने में अपना सहयोग प्रदान करें। एसोसिएशन की ओर से पूर्ण सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया गया। एसोसिएशन ने उदयपुर में रेवेन्यू बोर्ड की डबल बेंच की स्थापना की मांग भी रखी जिस पर बोर्ड अध्यक्ष ने सहानुभूति पूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया।